न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी — राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का कुण्डरी

बनाम

अप्रार्थी शंकरलाल/कपनाराम ओर निवासी कुण्डरी अन्तर्गत धारा 91 भू.राज.व अधिनियम 1956.

प्रकरण संख्या 109 / 2018 निर्णय दिनांक 9.10.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुण्डरी ने अप्रार्थी के विरूद्ध सी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत 2075 में सरहद कुण्डरी के खसरा नम्बर 214, 242 के किस्म अंगोर व राहा में से रकबा 0.0975 हेक्ट. भूमि में पक्की दिवार व डेली लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी शंकरलाल से नोटिस तामील होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी / अधिवक्ता श्री — ने दिनांक — को उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवम निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम कुण्डरी खसरा नम्बर 214, 242 में किस्म अंगोर व राहा में से रकबा 0.0975 हेक्ट. भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 16/— रूपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0975 हेक्ट.भूमि के 1.56/— रूपये लगान का 50 गुणा 78/— अक्षरे अठहत्तर रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कार्यवाही व वसूली हेतु लिखा जावे । पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 9.10.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर